

भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016

(2016 का अधिनियम संख्यांक 11)

[21 मार्च, 2016]

माल, वस्तु, प्रसंस्करण, पद्धति और सेवाओं के मानकीकरण, अनुरूपता, निर्धारण और
क्वालिटी आश्वासन के क्रियाकलापों के सामंजस्यपूर्ण विकास के लिए
एक राष्ट्रीय मानक निकाय की स्थापना के लिए और
उससे संबद्ध या उसके आनुषंगिक
विषयों का उपबंध
करने के लिए
अधिनियम

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ—(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 है।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर होगा।

(3) यह उस तारीख¹ को प्रवृत्त होगा, जो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

2. परिभाषाएं—इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(1) “वस्तु” से कृत्रिम या प्राकृतिक, या अंशतः कृत्रिम या अंशतः प्राकृतिक कोई पदार्थ अभिप्रेत है, चाहे वह भारत के भीतर कच्चा या अंशतः या पूर्णतः प्रसंस्कृत या विनिर्मित या हस्तनिर्मित या भारत में आयातित हो;

(2) “परख और हॉलमार्क केंद्र” से मूल्यवान धातु की वस्तुओं की शुद्धता को अवधारित करने और मूल्यवान धातु की वस्तुओं पर ऐसी रीति में हॉलमार्क लगाने के लिए, जो विनियमों द्वारा अवधारित की जाए, ब्यूरो द्वारा मान्यताप्राप्त परीक्षण और चिह्नांकन केंद्र अभिप्रेत है:

(3) “ब्यूरो” से धारा 3 के अधीन स्थापित भारतीय मानक ब्यूरो अभिप्रेत है;

(4) “प्रमाणन अधिकारी” से धारा 27 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त कोई प्रमाणन अधिकारी अभिप्रेत है;

(5) “प्रमाणित निकाय” से किसी ऐसे माल, वस्तु, प्रसंस्करण, पद्धति या सेवा, जो किसी मानक के अनुरूप है, के संबंध में धारा 13 की उपधारा (2) के अधीन अनुरूपता या अनुज्ञप्ति का प्रमाणपत्र धारक अभिप्रेत है;

(6) “प्रमाणित जौहरी” से ऐसा जौहरी अभिप्रेत है जिसको ब्यूरो द्वारा किसी मूल्यवान धातु की वस्तु को ऐसी रीति से, जो विनियमों द्वारा अवधारित की जाए, हॉलमार्क करने के पश्चात् विक्रय हेतु विनिर्माण कराने या उसका विक्रय करने के लिए कोई प्रमाणपत्र प्रदान किया गया है;

(7) “अनुरूपता निर्धारण” से ऐसा प्रदर्शन अभिप्रेत है जो यह दर्शित करे कि किसी धातु, प्रसंस्करण, पद्धति, सेवा, व्यक्ति या निकाय से संबंधित ऐसी अपेक्षाओं को पूरा किया गया है, जो विनिर्दिष्ट की जाएं;

(8) “अनुरूपता निर्धारण स्कीम” से ऐसे माल, वस्तु, प्रसंस्करण, पद्धति या सेवा से संबंधित कोई ऐसी स्कीम अभिप्रेत है, जिसे ब्यूरो द्वारा धारा 12 के अधीन अधिसूचित किया जाए;

(9) “उपभोक्ता” से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (1986 का 68) में यथा परिभाषित है;

(10) “आवेष्टक” के अंतर्गत कोई डाट, मंजूषा, बोटल, बर्तन, बक्सा, टोकरा, ढक्कन, कैप्सूल, पेटी, चौखटा, लपेटन, थैला, बोरा, थैली या अन्य आधान भी हैं;

(11) “महानिदेशक” से धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त महानिदेशक अभिप्रेत है;

(12) “कार्यकारिणी समिति” से धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन गठित कार्यकारिणी समिति अभिप्रेत है;

¹ अधिसूचना सं० का०आ० 3295(अ) तारीख 12 अक्टूबर, 2017 द्वारा 12 अक्टूबर, 2017 भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग 2 खण्ड 3(ii) देखें।

(13) “निधि” से धारा 20 के अधीन गठित निधि अभिप्रेत है;

(14) “माल” से अनुयोज्य दावों, धन, स्टॉक और शेयरों से भिन्न माल विक्रय अधिनियम, 1930 (1930 का 3) के अधीन सभी प्रकार की जंगम संपत्तियां अभिप्रेत हैं;

(15) “शासी परिषद्” से धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन गठित कोई शासी परिषद् अभिप्रेत है;

(16) “हॉलमार्क” से बहुमूल्य धातु की वस्तुओं के संबंध में, मानक चिह्न अभिप्रेत है, जो सुसंगत भारतीय मानक के अनुसार उस वस्तु में बहुमूल्य धातु की आनुपातिक अंतर्वस्तु को उपदर्शित करता है;

(17) “भारतीय मानक” से किसी माल, वस्तु, प्रसंस्करण, पद्धति या सेवा के संबंध में ब्यूरो द्वारा स्थापित और प्रकाशित मानक, जिसके अंतर्गत कोई प्रायोगिक या अनन्तिम मानक भी है, अभिप्रेत है, जो ऐसे माल, वस्तु, प्रसंस्करण, पद्धति या सेवा की क्वालिटी और विनिर्देश का सूचक है और इसके अंतर्गत निम्नलिखित भी हैं,—

(i) धारा 10 की उपधारा (2) के अधीन ब्यूरो द्वारा अंगीकृत कोई मानक; और

(ii) भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 (1986 का 63) के अधीन स्थापित भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा स्थापित और प्रकाशित या मान्याप्राप्त कोई मानक, जो इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से ठीक पूर्व प्रवृत्त था;

(18) “भारतीय मानक संस्था” से सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत भारतीय मानक संस्थान अभिप्रेत है;

(19) “जौहरी” से विक्रय हेतु मूल्यवान धातु की वस्तुओं का विनिर्माण कराने के या मूल्यवान धातु की वस्तुओं का विक्रय करने के कारबार में लगा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है;

(20) “अनुज्ञप्ति” से किसी ऐसे माल, वस्तु, प्रसंस्करण, पद्धति या सेवा के संबंध में, जो किसी मानक के अनुरूप है, विनिर्दिष्ट मानक चिह्न उपयोग करने के लिए धारा 13 के अधीन प्रदान की गई अनुज्ञप्ति अभिप्रेत है;

(21) “विनिर्माता” से किसी माल या वस्तु का डिजाइन तैयार करने और उसका विनिर्माण करने के लिए उत्तरदायी कोई व्यक्ति अभिप्रेत है;

(22) “चिह्न” के अंतर्गत कोई आकृति, छाप, सिरा, लेबल, टिकट, चित्ररूपण, नाम, हस्ताक्षर, शब्द, अक्षर या अंक या उनका कोई संयोजन भी है;

(23) “सदस्य” से शासी परिषद्, कार्यकारिणी समिति या किसी सलाहकार समिति का सदस्य अभिप्रेत है;

(24) “अधिसूचना” से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है और “अधिसूचित करना” या “अधिसूचित” शब्द के प्रयोग का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा;

(25) “व्यक्ति” से माल या वस्तु का कोई विनिर्माता, आयातकर्ता, वितरक, फुटकर विक्रेता, विक्रेता या पट्टाकर्ता या कोई सेवा प्रदाता या कोई ऐसा अन्य व्यक्ति अभिप्रेत है, जो माल या वस्तु पर अपना नाम, व्यापार चिह्न या कोई अन्य भिन्न चिह्न या कोई सेवा प्रदान करते समय किसी प्रतिफल के लिए उनका उपयोग करता या उन्हें प्रयुक्त करता है या वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पुरस्कार या दान के रूप में माल या वस्तुएं देता है या सेवा प्रदान करता है और इसमें उनके प्रतिनिधि तथा ऐसा व्यक्ति भी सम्मिलित है जो ऐसे क्रियाकलापों में लगा है, जहां विनिर्माता, आयातकर्ता, वितरक, फुटकर विक्रेता, विक्रेता, पट्टाकर्ता या सेवा प्रदाता की पहचान नहीं हो सकती;

(26) “मूल्यवान धातु” से सोना, चांदी, प्लैटिनम और प्लेडियम अभिप्रेत है;

(27) “मूल्यवान धातु की वस्तु” से पूर्णतः या भागतः मूल्यवान धातुओं या उनके मिश्रातु से बनाई गई कोई वस्तु अभिप्रेत है;

(28) “विहित” से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(29) “प्रसंस्करण” से ऐसी अंतर-संबंधी या अंतर-क्रियात्मक क्रियाकलापों का सैट अभिप्रेत है, जो आगम को निर्गमों में परिवर्तित करता है;

(30) “मान्यताप्राप्त परीक्षण और चिह्नांकन केंद्र” से धारा 14 की उपधारा (5) के अधीन ब्यूरो द्वारा मान्यताप्राप्त कोई परीक्षण और चिह्नांकन केंद्र अभिप्रेत है;

(31) “मान्यताप्राप्त परीक्षण प्रयोगशाला” से धारा 13 की उपधारा (4) के अधीन ब्यूरो द्वारा मान्यताप्राप्त कोई परीक्षण प्रयोगशाला अभिप्रेत है;

(32) “रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी” से किसी कंपनी, फर्म या व्यक्तियों के अन्य निकाय या किसी व्यापार चिह्न या डिजाइन को रजिस्टर करने या कोई पेटेंट प्रदान करने के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन कोई सक्षम प्राधिकारी अभिप्रेत है;

(33) “विनियम” से इस अधिनियम के अधीन ब्यूरो द्वारा बनाए गए विनियम अभिप्रेत हैं;

(34) “विक्रय” से किसी प्रतिफल के लिए या वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए माल, वस्तु, प्रसंस्करण, पद्धति या सेवा का विक्रय, वितरण करना, भाड़े, पट्टे पर देना या उसका विनिमय करना अभिप्रेत है;

(35) “विक्रेता” से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है; जो किसी माल, वस्तु, प्रसंस्करण, पद्धति या सेवा के विक्रय में लगा है;

(36) “सेवा” से ग्राहक की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किसी संगठन और किसी ग्राहक के बीच अंतरापृष्ठ पर क्रियाकलापों द्वारा और संगठन के आंतरिक कार्यकलापों द्वारा उत्पन्न परिणाम अभिप्रेत है;

(37) “विनिर्देश” से किसी माल, वस्तु, प्रसंस्करण, पद्धति या सेवा की प्रकृति, क्वालिटी, संख्या, शुद्धता, संरचना, परिमाण, आयाम, भार, श्रेणी, टिकाऊपन, उद्गम, आयु, पदार्थ, विनिर्माण या प्रसंस्करण के ढंग, सेवा परिदान करने की संगतता और विश्वसनीयता या ऐसे अन्य लक्षणों के, जिससे उसका किसी अन्य माल, वस्तु, प्रसंस्करण, पद्धति या सेवा से विभेद किया जाता है, प्रति यथासाध्य निर्देश से उस माल, वस्तु, प्रसंस्करण, पद्धति या सेवा का वर्णन अभिप्रेत है;

(38) “विनिर्दिष्ट” से विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट अभिप्रेत है;

(39) “मानक” से ऐसे दस्तावेजीकृत करार अभिप्रेत हैं जिनमें नियमों, मार्गदर्शक सिद्धांतों या लक्षणों की परिभाषाओं के रूप में लगातार उपयोग किए जाने वाले तकनीकी विनिर्देश या अन्य सटीक मानदंड यह सुनिश्चित करने के लिए अंतर्विष्ट हैं कि उनके प्रयोजन के लिए माल, वस्तुएं, प्रसंस्करण, पद्धति और सेवाएं ठीक हैं;

(40) “मानक चिह्न” से किसी विशिष्ट भारतीय मानक के माल, वस्तु, प्रसंस्करण, पद्धति या सेवा की अनुरूपता या किसी ऐसे मानक की अनुरूपता का प्रतिनिधित्व करने के लिए ब्यूरो द्वारा विनिर्दिष्ट चिह्न अभिप्रेत है, जिसके अंतर्गत हॉल मार्क भी है, जिसका चिह्न ब्यूरो द्वारा स्थापित, अंगीकृत किया गया है या उसे मान्यता प्रदान की गई है और जो मानक चिह्न के रूप में वस्तु या माल पर चिह्नित है या उसके आवेष्टक पर या ऐसे माल या वस्तु से संलग्न किसी लेबल पर चिह्नित है;

(41) “पद्धति” से अंतः संबद्ध या अंतः क्रियाशील कारकों का एक सेट अभिप्रेत है;

(42) “परीक्षण प्रयोगशाला” से अपेक्षाओं के एक सेट के प्रति माल या वस्तु का परीक्षण करने और उसके निष्कर्षों की रिपोर्ट करने के प्रयोजन के लिए स्थापित कोई निकाय अभिप्रेत है;

(43) “व्यापार चिह्न” से ऐसा चिह्न अभिप्रेत है जो, यथास्थिति, माल, वस्तु, प्रसंस्करण, पद्धति या सेवा के व्यापार के अनुक्रम में उपदर्शन करने के प्रयोजनार्थ या इस प्रकार उपदर्शन करते हुए जिसे या तो स्वत्वधारी या रजिस्ट्रीकृत उपयोगकर्ता के रूप में, उस व्यक्ति की पहचान के उपदर्शन सहित या रहित, जिसे उस चिह्न के उपयोग का अधिकार है, माल या वस्तु या प्रसंस्करण या पद्धति या सेवा के संबंध में उपयोग किया जाता है या उपयोग करना प्रस्थापित है।

अध्याय 2

भारतीय मानक ब्यूरो

3. ब्यूरो की स्थापना और शासी परिषद् का गठन—(1) ऐसी तारीख से, जो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त नियत करे, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, एक राष्ट्रीय निकाय की स्थापना की जाएगी, जिसे भारतीय मानक ब्यूरो कहा जाएगा।

(2) ब्यूरो पूर्वोक्त नाम का एक निगमित निकाय होगा, जिसका शाश्वत् उत्तराधिकार और सामान्य मुद्रा होगी और जिसे, इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए स्थावर और जंगम, दोनों प्रकार की संपत्ति का अर्जन, धारण और व्ययन करने की और संविदा करने की शक्ति होगी और उक्त नाम से वह वाद लाएगा तथा उस पर वाद लाया जाएगा।

(3) शासी परिषद् के सदस्यों से ब्यूरो का गठन होगा और ब्यूरो के कार्यों का साधारण अधीक्षण, निदेशन और प्रबंधन शासी परिषद् में निहित होगा, जो निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात्:—

(क) केंद्रीय सरकार के उस मंत्रालय या विभाग का, जिसका ब्यूरो पर प्रशासनिक नियंत्रण है, भारसाधक मंत्री, जो ब्यूरो का पदेन अध्यक्ष होगा;

(ख) केंद्रीय सरकार के उस मंत्रालय या विभाग का, जिसका ब्यूरो पर प्रशासनिक नियंत्रण है, राज्य मंत्री या उप मंत्री, यदि कोई हो, जो ब्यूरो का पदेन उपाध्यक्ष होगा और जहां ऐसा कोई राज्य मंत्री या उप मंत्री नहीं है, वहां ऐसा व्यक्ति, जो केंद्रीय सरकार द्वारा ब्यूरो के उपाध्यक्ष के रूप में नामनिर्दिष्ट किया जाए;

(ग) केंद्रीय सरकार के उस मंत्रालय या विभाग का, जिसका ब्यूरो पर प्रशासनिक नियंत्रण है, भारत सरकार का सचिव, पदेन;

(घ) ब्यूरो का महानिदेशक, पदेन;

(ङ) उतने अन्य व्यक्ति, जितने सरकार, उद्योग, वैज्ञानिक और अनुसंधान संस्थाओं, उपभोक्ताओं तथा अन्य हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए विहित किए जाएं, जो केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए जाएंगे।

(4) उपधारा (3) के खंड (ङ) में निर्दिष्ट सदस्यों की पदावधि और उनके बीच रिक्तियों को भरने की रीति तथा सदस्यों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया वह होगी, जो विहित की जाए:

परन्तु भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 (1968 का 63) के अधीन गठित भारतीय मानक ब्यूरो के पदेन सदस्य से भिन्न कोई अन्य सदस्य, इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख के पश्चात् अपनी पदावधि के पूर्ण होने तक सदस्य के रूप में अपने पद पर बना रहेगा।

(5) शासी परिषद् किन्हीं ऐसे व्यक्तियों को, जिनकी वह इस अधिनियम के किसी उपबंध का अनुपालन करने के सहायता या सलाह लेने की वांछा करे, ऐसी रीति से और ऐसे प्रयोजनों के लिए, जो विहित किए जाएं, अपने से सहयोजित कर सकेगी और इस प्रकार सहयोजित व्यक्ति को यह अधिकार होगा कि वह उन प्रयोजनों से जिनके लिए सहयोजित किया गया है, सुसंगत शासी परिषद् के विचार-विमर्श में भाग ले, किन्तु उसे मत देने का अधिकार नहीं होगा।

(6) शासी परिषद्, लिखित में, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, किसी सदस्य, महानिदेशक या किसी अन्य व्यक्ति को ऐसी शर्तों, यदि कोई हों, के अधीन रहते हुए, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाएं, इस अधिनियम के अधीन उसकी ऐसी शक्तियों और कृत्यों को धारा 37 के अधीन की शक्तियों के सिवाय जो वह आवश्यक समझे, प्रत्यायोजित कर सकेगी।

4. ब्यूरो की कार्यकारिणी समिति—(1) शासी परिषद्, केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, एक कार्यकारिणी समिति का गठन कर सकेगी, जो निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात्:—

(क) ब्यूरो का महानिदेशक, जो उसका पदेन सभापति होगा; और

(ख) उतने सदस्य, जो विहित किए जाएं।

(2) उपधारा (1) के अधीन गठित कार्यकारिणी समिति ऐसे कृत्यों का पालन, शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का निर्वहन करेगी, जो उसको शासी परिषद् द्वारा प्रत्यायोजित किए जाएं।

5. ब्यूरो की सलाहकार समितियां—(1) इस निमित्त बनाए गए किन्हीं विनियमों के अधीन रहते हुए, शासी परिषद्, समय-समय पर और जब भी यह आवश्यक समझा जाए, ब्यूरो के कृत्यों के दक्षतापूर्ण निर्वहन के लिए निम्नलिखित सलाहकार समितियां गठित कर सकेगी, अर्थात्:—

(क) वित्त सलाहकार समिति;

(ख) अनुरूपता निर्धारण सलाहकार समिति;

(ग) मानक सलाहकार समिति;

(घ) परीक्षण और अंशशोधन सलाहकार समिति; और

(ङ) उतनी अन्य समितियां, जितनी विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं।

(2) प्रत्येक सलाहकार समिति, सभापति और ऐसे अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगी, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं।

6. रिक्तियों आदि के कारण कार्य या कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होना—धारा 3 के अधीन शासी परिषद् का कोई कार्य या कार्यवाहियां केवल निम्नलिखित के कारण अविधिमान्य नहीं होंगी, अर्थात्:—

(क) शासी परिषद् में कोई रिक्ति या उसके गठन में कोई त्रुटि; या

(ख) शासी परिषद् के सदस्य के रूप में कार्य कर रहे किसी व्यक्ति की नियुक्ति में कोई त्रुटि;

(ग) शासी परिषद् की प्रक्रिया में कोई अनियमितता, जो मामले के गुणागुण को प्रभावित न करती हो।

7. महानिदेशक—(1) केंद्रीय सरकार, ब्यूरो का एक महानिदेशक नियुक्त करेगी।

(2) ब्यूरो के महानिदेशक की सेवा के निबंधन और शर्तें वे होंगी, जो विहित की जाएं।

(3) शासी परिषद् के साधारण अधीक्षण और नियंत्रण के अधीन रहते हुए, ब्यूरो का महानिदेशक ब्यूरो का मुख्य कार्यपालक प्राधिकारी होगा।

(4) ब्यूरो का महानिदेशक ब्यूरो की ऐसी शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का निर्वहन करेगा, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं।

(5) महानिदेशक, लिखित में साधारण या विशेष आदेश द्वारा, ब्यूरो के किसी अधिकारी को ऐसी शर्तों, यदि कोई हों, के अधीन रहते हुए, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाएं, अपनी ऐसी शक्तियों और कृत्य, जो विनियमों के अधीन उसको समनुदेशित की गई हैं या शासी परिषद् द्वारा उसको प्रत्यायोजित की गई हैं, जिनको वह आवश्यक समझे प्रत्यायोजित कर सकेगा।

8. ब्यूरो के अधिकारी और कर्मचारी—(1) ब्यूरो ऐसे अन्य अधिकारी और कर्मचारी नियुक्त कर सकेगा, जो वह इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के दक्षतापूर्ण निर्वहन के लिए आवश्यक समझे।

(2) उपधारा (1) के अधीन नियुक्त ब्यूरो के अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा के निबंधन और शर्तें वे होंगी, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं।

9. ब्यूरो की शक्तियां और कृत्य—(1) ऐसी शक्तियों और कर्तव्यों का, जो इस अधिनियम के अधीन ब्यूरो को समनुदेशित किए जाएं, प्रयोग और पालन शासी परिषद् द्वारा किया जाएगा और विशिष्टतया ऐसी शक्तियों में निम्नलिखित शक्तियां सम्मिलित हो सकेंगी—

(क) भारत में या भारत से बाहर शाखाएं, कार्यालय या अभिकरण स्थापित करना,

(ख) ऐसे माल, वस्तु, प्रसंस्करण, प्रणाली या सेवा के लिए मानक चिह्न के समरूप किसी माल, वस्तु, प्रसंस्करण, प्रणाली या सेवा के संबंध में ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जिन पर ब्यूरो परस्पर सहमत हो, किसी अंतरराष्ट्रीय निकाय या संस्था के चिह्न को पारस्परिक आधार पर या अन्यथा केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से मान्यता प्रदान करना;

(ग) किसी देश या किसी अंतरराष्ट्रीय संगठन में किसी तत्समान संस्था या संगठन के साथ ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जिन पर ब्यूरो परस्पर सहमत हो, भारत के बाहर ब्यूरो और भारतीय मानकों की मान्यता की ईप्सा करना;

(घ) इस अधिनियम के उपबंधों को प्रवृत्त करने के लिए स्थानों, परिसरों या यानों में प्रवेश करना और तलाशी लेना और माल या वस्तु या दस्तावेजों का निरीक्षण और अभिग्रहण करना;

(ङ) ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जिन पर परस्पर सहमति हो, मानकों के अनुपालन के लिए माल या वस्तुओं या प्रसंस्करणों के विनिर्माताओं और उपभोक्ताओं को सेवाएं प्रदान करना;

(च) क्वालिटी प्रबंधन, मानकों, अनुरूपता निर्धारण, प्रयोगशाला परीक्षण और अंशशोधन तथा किन्हीं अन्य संबद्ध क्षेत्रों के संबंध में प्रशिक्षण सेवाएं उपलब्ध कराना;

(छ) भारतीय मानकों का प्रकाशन करना और ऐसे प्रकाशनों तथा अंतरराष्ट्रीय निकायों के प्रकाशनों का विक्रय करना;

(ज) भारत और भारत से बाहर अभिकरणों को ब्यूरो के सभी अथवा किन्हीं क्रियाकलापों को करने और ऐसे अन्य प्रयोजनों के लिए, जो आवश्यक हों और ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जिन्हें वह उचित समझे, प्राधिकृत करना;

(झ) ब्यूरो के समान उद्देश्यों वाले प्रादेशिक, अंतरराष्ट्रीय और विदेशी निकायों में सदस्यता अभिप्राप्त करना और अंतरराष्ट्रीय मानक निर्धारण प्रक्रिया में भाग लेना;

(ञ) अनुरूपता निर्धारण से भिन्न प्रयोजनों के लिए नमूनों का परीक्षण करना;

(ट) विधिक माप विज्ञान से संबंधित क्रियाकलाप करना।

(2) ब्यूरो माल, वस्तुओं, प्रसंस्करणों, पद्धतियों और सेवाओं की क्वालिटी और सुरक्षा के संवर्धन, मानीटरी और प्रबंध के लिए ऐसे सभी कदम उठाएगा, जो उपभोक्ताओं और विभिन्न अन्य पणधारियों के हितों के संरक्षण के लिए आवश्यक हों और ऐसे कदमों के अंतर्गत निम्नलिखित हो सकेंगे,—

(क) किसी माल, वस्तु, प्रसंस्करण, पद्धति या सेवा की बाजार निगरानी या सर्वेक्षण को, उनकी क्वालिटी मानीटर करने के लिए कार्यान्वित करना और ऐसी निगरानी या सर्वेक्षणों के निष्कर्षों को प्रकाशित करना;

(ख) उपभोक्ताओं और उद्योग में जागरूकता पैदा करके किसी माल, वस्तु, प्रसंस्करण, पद्धति या सेवा के संबंध में क्वालिटी का संवर्धन और उन्हें किसी माल, वस्तु, प्रसंस्करण, पद्धति या सेवा के संबंध में क्वालिटी और मानकों के बारे में शिक्षित करना;

(ग) किसी माल, वस्तु, प्रसंस्करण, पद्धति या सेवा के संबंध में सुरक्षा का संवर्धन;

(घ) किसी ऐसे माल, वस्तु, प्रसंस्करण, पद्धति या सेवा की पहचान, जिसके लिए कोई नया भारतीय मानक स्थापित करने की या किसी विद्यमान भारतीय मानक को पुनरीक्षित करने की आवश्यकता है;

(ङ) भारतीय मानकों के उपयोग का संवर्धन;

(च) भारत में या भारत के बाहर किसी ऐसी संस्था को मान्यता या प्रत्यायन प्रदान करना, जो अनुरूपता प्रमाणन में लगी है और किसी माल, वस्तु, प्रसंस्करण, पद्धति या सेवा का या परीक्षण प्रयोगशालाओं का निरीक्षण;

(छ) किसी माल, वस्तु, प्रसंस्करण, पद्धति या सेवा के संबंध में, क्वालिटी में सुधार या क्वालिटी आश्वासन क्रियाकलापों के कार्यान्वयन के संबंध में विनिर्माताओं के किसी संगम या उपभोक्ताओं या किसी अन्य निकाय के क्रियाकलापों का समन्वयन और संवर्धन; और

(ज) ऐसे अन्य कृत्य, जो किसी माल, वस्तु, प्रसंस्करण, पद्धति या सेवा की क्वालिटी के संवर्धन, मानीटरी और प्रबंध के लिए तथा उपभोक्ताओं और अन्य पणधारियों के हितों के संरक्षण के लिए आवश्यक हों।

(3) ब्यूरो, इस धारा के अधीन अपने कृत्यों का पालन, निदेश के अनुसार और ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए, जो केंद्रीय सरकार द्वारा बनाए जाएं, शासी निकाय के माध्यम से करेगा।

अध्याय 3

भारतीय मानक प्रमाणीकरण और अनुज्ञप्ति

10. भारतीय मानक—(1) ब्यूरो द्वारा स्थापित मानक, भारतीय मानक होंगे।

(2) ब्यूरो—

(क) किसी माल, वस्तु, प्रसंस्करण, पद्धति या सेवा के संबंध में, ऐसी रीति में जो विहित की जाए, भारतीय मानक को स्थापित, प्रकाशित, पुनरीक्षित और संवर्धित कर सकेगा;

(ख) ऐसी रीति में जो विहित की जाए, भारत में या अन्यत्र किसी अन्य संस्था द्वारा किसी माल, वस्तु, प्रसंस्करण, पद्धति या सेवा के संबंध में स्थापित किसी मानक को भी भारतीय मानक के रूप में अंगीकृत कर सकेगा;

(ग) भारत में या भारत के बाहर किसी ऐसी संस्था को मान्यता या प्रत्यायन प्रदान कर सकेगा, जो मानकीकरण में लगी हो;

(घ) ऐसे अनुसंधान का जिम्मा लेगा, उसकी सहायता और संवर्धन करेगा, जो भारतीय मानकों को तैयार करने के लिए आवश्यक हो।

(3) ब्यूरो, इस धारा के प्रयोजनों के लिए जब कभी आवश्यक समझा जाए, माल, वस्तुओं, प्रसंस्करणों, पद्धतियों और सेवाओं की बाबत मानकों को तैयार करने के लिए विशेषज्ञों की इतनी संख्या में तकनीकी समितियां गठित कर सकेगा जो आवश्यक समझी जाएं।

(4) भारतीय मानक अधिसूचित में किया जाएगा और ब्यूरो द्वारा वापस लिए जाने का विधिमान्य रहेगा।

(5) किसी अन्य विधि में किसी बात का के होते हुए भी, किसी भारतीय मानक या उसके ब्यूरो के किसी अन्य प्रकाशन का प्रतिलिप्यधिकार ब्यूरो में निहित होगा।

11. ब्यूरो के प्राधिकार बिना प्रकाशन, पुनःउद्धरण या अभिलिखित करने का प्रतिषेध—(1) कोई व्यक्ति ब्यूरो के प्राधिकार के बिना, किसी भारतीय मानक या उसके किसी भाग या ब्यूरो के किसी अन्य प्रकाशन का किसी भी रीति या रूप में प्रकाशन, पुनःउद्धरण या उसे अभिलिखित नहीं करेगा।

(2) कोई व्यक्ति ऐसा कोई दस्तावेज जारी नहीं करेगा जिससे यह धारणा सृजित होती है या होती हो कि यह इस अधिनियम में यथा अनुध्यात भारतीय मानक है या इसमें भारतीय मानक अंतर्विष्ट है:

परंतु इस उपधारा की कोई बात किसी व्यक्ति को अपने स्वयं के व्यक्तिगत उपयोग के लिए भारतीय मानक की कोई प्रति तैयार करने से निवारित नहीं करेगी।

12. अनुरूपता निर्धारण स्कीम—(1) ब्यूरो, ऐसी रीति में, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, किसी ऐसे भारतीय मानक या किसी अन्य मानक की बाबत, यथास्थिति, किसी माल, वस्तु, प्रसंस्करण, पद्धति या सेवा या किसी माल, वस्तु, प्रसंस्करण, पद्धति या सेवा के किसी सेवा के किसी समूह के लिए कोई विनिर्दिष्ट या भिन्न अनुरूपता निर्धारण स्कीम अधिसूचित कर सकेगा।

(2) ब्यूरो, अपनी प्रत्येक अनुरूपता निर्धारण स्कीम के संबंध में मानक चिह्न विनिर्दिष्ट कर सकेगा, जो ऐसे डिजाइन का होगा और उसमें ऐसी विशिष्टियां होगी, जो किसी विशिष्ट मानक का प्रतिनिधित्व करने के लिए विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं।

13. अनुज्ञप्ति या अनुरूपता प्रमाणपत्र मंजूर करना—(1) कोई व्यक्ति, यथास्थिति, अनुज्ञप्ति या अनुरूपता प्रमाणपत्र मंजूर किए जाने के लिए आवेदन कर सकेगा, यदि माल, वस्तु, प्रसंस्करण, पद्धति या सेवा भारतीय मानक के अनुरूप है।

(2) जहां कोई माल, वस्तु, प्रसंस्करण, पद्धति या सेवा किसी मानक के अनुरूप है, तो महानिदेशक विनियमों द्वारा यथा अवधारित और अनुरूपता या अनुज्ञप्ति प्रमाणपत्र के प्रचालन के पूर्व या उसके दौरान ऐसी शर्तों के अधीन और ऐसी फीस के संदाय पर जिसके अंतर्गत विलंब फीस या जुर्माना भी है, आदेश द्वारा निम्नलिखित मंजूर कर सकेगा—

(क) ऐसी रीति में, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, अनुरूपता प्रमाणपत्र; या

(ख) ऐसी रीति में, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, मानक चिह्न का उपयोग या उसको लागू करने के लिए कोई अनुज्ञप्ति।

(3) किसी मानक चिह्न का प्रयोग करने के लिए अनुरूपता प्रमाणपत्र या अनुज्ञप्ति मंजूर करते समय ब्यूरो, आदेश द्वारा आवश्यक रूप से चिपकाए जाने वाले ऐसे चिह्न लगाने और लेबल लगाने वाली अपेक्षाओं को, जो समय-समय पर विनिर्दिष्ट की जाएं, विनिर्दिष्ट कर सकेगा।

(4) ब्यूरो, अनुरूपता निर्धारण और क्वालिटी आश्वासन के प्रयोजनों के लिए तथा ऐसे अन्य प्रयोजनों के लिए, जो इसके कृत्यों को कार्यान्वित करने के लिए अपेक्षित हो, परीक्षण प्रयोगशालाओं को स्थापित, अनुरक्षित और मान्यता प्रदान कर सकेगा।

14. जौहरियों और कतिपय विनिर्दिष्ट माल या वस्तुओं के विक्रेताओं के मानक चिह्नों का प्रमाणन—(1) केंद्रीय सरकार, ब्यूरो से परामर्श करने के पश्चात् ऐसी बहुमूल्य धातु वस्तुओं या अन्य माल या वस्तुओं का, जो वह आवश्यक समझे, यथास्थिति, किसी हालमार्क या मानक चिह्न से चिह्नित होना, उपधारा (2) में यथा विनिर्दिष्ट रीति में अधिसूचित कर सकेगी।

(2) उपधारा (1) में अधिसूचित माल या वस्तुएं, ब्यूरो द्वारा प्रमाणित खुदरा बाजारों के माध्यम से, ऐसे माल या वस्तुओं का ब्यूरो द्वारा मान्यताप्राप्त परीक्षण और चिह्नांकन केंद्रों द्वारा सुसंगत मानक की अनुरूपता का अवधारण कर दिए जाने और, यथास्थिति, विनियमों द्वारा यथा अवधारित हालमार्क या मानक चिह्न से चिह्नित किए जाने के पश्चात् बेची जा सकेंगी।

(3) केंद्रीय सरकार, ब्यूरो से परामर्श करने के पश्चात्, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, उपधारा (1) के अधीन अधिसूचित माल या वस्तुओं के विक्रेताओं के लिए, ऐसी शर्तों को, जो विनियमों द्वारा अवधारित की जाएं, पूर्ण करने वाले प्रमाणित विक्रय बाजारों के माध्यम से ही बेचे जाने को अनिवार्य कर सकेगी।

(4) ब्यूरो, ऐसी रीति में, जो विनियमों द्वारा अवधारित की जाए, उपधारा (1) के अधीन अधिसूचित माल या वस्तुओं के विक्रय के लिए किसी जौहरी या किसी अन्य विक्रेता के मानक चिह्न या हालमार्क के प्रमाणन को आदेश द्वारा मंजूर, नवीकृत, निलंबित या रद्द कर सकेगा।

(5) ब्यूरो उपधारा (1) के अधीन अधिसूचित माल या वस्तुओं की अनुरूपता निर्धारण और मानक चिह्न, जिसके अंतर्गत हालमार्क भी हैं, के लागू किए जाने के लिए परीक्षण और चिह्नांकन केंद्रों को, जिसके अंतर्गत कसौटी और हालमार्किंग केंद्र भी हैं, ऐसी रीति में स्थापित, अनुरक्षित और मान्यता प्रदान कर सकेगा जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए।

(6) उपधारा (1) के अधीन अधिसूचित माल या वस्तुओं की बाबत कोई परीक्षण और चिह्नांकन केंद्र या कसौटी और हालमार्किंग केंद्र, जो ब्यूरो द्वारा मान्यताप्राप्त केंद्र से भिन्न है, किसी माल या वस्तु पर कोई मानक चिह्न, जिसके अंतर्गत हालमार्क भी हैं, या उसकी मिलती-जुलती नकल है, उपयोग, चिपकाना, समुद्रभूत, उत्कीर्ण, मुद्रित नहीं करेगा या नहीं लगाएगा; और किसी मानक चिह्न जिसके अंतर्गत हालमार्क भी है, का उपयोग और लागू किए जाने का दावा विज्ञापनों, विक्रय संवर्धन विज्ञप्तियों, कीमत सूचियों या इसी प्रकार से अन्य के माध्यम से नहीं करेगा।

(7) प्रत्येक मान्यताप्राप्त परीक्षण और चिह्नांकन केंद्र, जिसके अंतर्गत कसौटी और हालमार्किंग केंद्र भी हैं, ऐसी रीति में, जो विनिर्दिष्ट की जाए, माल या वस्तुओं की अनुरूपता का परिशुद्धतापूर्वक अवधारण करने के पश्चात् उपधारा (1) के अधीन अधिसूचित माल या वस्तुओं पर मानक चिह्न का उपयोग या प्रयोग करेगा।

(8) कोई भी मान्यताप्राप्त परीक्षण और चिह्नांकन केंद्र, जिसके अंतर्गत कसौटी और हालमार्किंग केंद्र भी हैं, उपधारा (5) के अधीन उसे मान्यताप्राप्त होते हुए भी, उपधारा (1) के अधीन अधिसूचित किसी माल या वस्तु के संबंध में मानक चिह्नांकन, जिसके अंतर्गत हालमार्किंग भी है, या उसकी मिलती-जुलती नकल का तब तक उपयोग या प्रयोग नहीं करेगा, जब तक ऐसा माल या वस्तु सुसंगत मानक के अनुरूप नहीं है।

15. आयात, विक्रय, प्रदर्शन आदि का प्रतिषेध—(1) कोई व्यक्ति, ब्यूरो से प्रमाणन के अधीन के सिवाय, धारा 14 की उपधारा (1) के अधीन किसी माल या वस्तु का आयात, वितरण, विक्रय, भंडारण या विक्रय के लिए प्रदर्शन नहीं करेगा।

(2) कोई व्यक्ति, ब्यूरो द्वारा प्रमाणित से भिन्न, धारा 14 की उपधारा (3) के अधीन अधिसूचित और मानक चिह्न से चिह्नित माल या वस्तुओं, जिसके अंतर्गत हालमार्क भी है, का विक्रय या प्रदर्शन या विक्रय के लिए प्रस्ताव नहीं करेगा और विज्ञापनों, विक्रय संवर्धन विज्ञप्तियों, मूल्य सूचियों या इसी प्रकार से अन्य माध्यम से मानक चिह्न, जिसके अंतर्गत हालमार्क भी है, के संबंध में दावा नहीं करेगा।

(3) कोई भी प्रमाणित जौहरी या विक्रेता इस बात के होते हुए भी कि उसे मानक चिह्न के साथ, जिसके अंतर्गत हालमार्क भी है, प्रमाणन प्रदान किया है, प्रमाणन प्रदान किया गया है, किन्हीं अधिसूचित माल या वस्तुओं या उनकी मिलती-जुलती नकल का विक्रय

या प्रदर्शन या विक्रय के लिए प्रस्ताव तब तक नहीं करेगा, जब तक ऐसा माल या वस्तुएं ऐसी रीति में, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं, मानक चिह्न या हालमार्क से चिह्नित नहीं है, और जब तक ऐसा माल या वस्तु सुसंगत मानक के अनुरूप नहीं है।

16. केन्द्रीय सरकार द्वारा मानक चिह्न के अनिवार्य उपयोग का निदेश दिया जाना—(1) यदि केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि लोकहित में या मानक, पशु या पौध स्वास्थ्य के संरक्षण, पर्यावरण की सुरक्षा या अशुद्ध व्यापार पद्धतियों के निवारण या राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, तो वह ब्यूरो से परामर्श करने के पश्चात् राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा निम्नलिखित अधिसूचित कर सकेगा—

(क) किसी अनुसूचित उद्योग का माल या वस्तु, प्रसंस्करण, पद्धति या सेवा;

(ख) ऐसे माल, वस्तुएं, प्रसंस्करण, पद्धति या सेवा के लिए ऐसी आवश्यक अपेक्षाएं,

और जो किसी मानक के अनुरूप होगी तथा ऐसे माल, वस्तु, प्रसंस्करण, पद्धति या सेवा पर अनिवार्य रूप से अनुज्ञप्ति या अनुरूपता प्रमाणपत्र के अधीन मानक चिह्न का उपयोग करने का निदेश दे सकेगी।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजन के लिए,—

(i) “अनुसूचित उद्योग” पद का अर्थ वही होगा जो उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) में है;

(ii) यह स्पष्ट किया जाता है कि आवश्यक अपेक्षाएं, प्राप्त किए जाने वाले पैरामीटरों के निबंधनों में अभिव्यक्त अपेक्षाएं या तकनीकी निबंधनों में मानक की अपेक्षाएं हैं, जो प्रभावी रूप से सुनिश्चित करती हों कि कोई माल, वस्तु, प्रसंस्करण, पद्धति या सेवा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण के उद्देश्य को प्रभावी रूप से पूरा करता है।

(2) केन्द्रीय सरकार, आदेश द्वारा ब्यूरो या आवश्यक प्रत्यायन या मान्यता तथा विधिमान्य अनुमोदन रखने वाले किसी अन्य अभिकरण को उपधारा (1) के अधीन सुसंगत मानक या विहित आवश्यक अपेक्षाओं के संबंध में अनुरूपता प्रमाणन और उसके प्रवर्तन के लिए प्राधिकृत कर सकेगी।

17. मानक चिह्नांकन के बिना कतिपय माल के विनिर्माण, विक्रय आदि का प्रतिषेध—(1) कोई व्यक्ति,—

(क) किसी विधिमान्य अनुज्ञप्ति के अधीन ऐसा करने के सिवाय, मानक चिह्नांकन के बिना, धारा 16 की उपधारा (1) के अधीन किसी माल, वस्तु, प्रसंस्करण, पद्धति या सेवा का विनिर्माण, आयात, वितरण, विक्रय, किराए पर देना, पट्टे पर देना, भंडारण या विक्रय के लिए प्रदर्शन नहीं करेगा; या

(ख) इस बात के होते हुए भी कि उसे अनुज्ञप्ति मंजूर की गई है, मानक चिह्न का प्रयोग नहीं करेगा, जब तक ऐसा माल, वस्तु, प्रसंस्करण, पद्धति या सेवा सुसंगत मानक या विहित आवश्यक अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं है।

(2) कोई भी व्यक्ति विज्ञापनों, विक्रय संवर्धन विज्ञप्तियों, कीमत सूचियों या इसी प्रकार से अन्य के माध्यम से लोक दावा नहीं करेगा कि उसका माल, वस्तु, प्रसंस्करण, पद्धति या सेवा किसी भारतीय मानक के अनुरूप है या ब्यूरो या धारा 16 की उपधारा (2) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित किसी अन्य प्राधिकारी से विधिमान्य अनुरूपता प्रमाणपत्र या अनुज्ञप्ति प्राप्त किए बिना माल या वस्तु पर ऐसी घोषणा नहीं करेगा।

(3) ब्यूरो से किसी विधिमान्य अनुज्ञप्ति के अधीन ऐसा करने के सिवाय, कोई भी व्यक्ति किसी माल, वस्तु, प्रसंस्करण, पद्धति या सेवा या किसी पेटेंट के हक में या किसी व्यापार चिह्न या डिजाइन के हक में, विनिर्माण, वितरण, विक्रय, किराए पर देने या पट्टे पर देने या विक्रय के लिए प्रदर्शन या प्रस्ताव के लिए मानक चिह्न या उसकी कोई मिलती-जुलती नकल का किसी भी रीति में उपयोग या प्रयोग नहीं करेगा या तात्पर्यित रूप से उनका उपयोग या प्रयोग नहीं करेगा।

18. अनुज्ञप्तिधारी, विक्रेता आदि की बाध्यताएं—(1) अनुज्ञप्तिधारी, सभी समयों पर मानक चिह्न वाले माल, वस्तुओं, प्रसंस्करणों, पद्धतियों या सेवाओं की अनुरूपता के लिए उत्तरदायी होगा।

(2) यथास्थिति, वितरक या विक्रेता का यह सुनिश्चित करने का दायित्व होगा कि मानक चिह्न वाले माल, वस्तुएं, प्रसंस्करण, पद्धतियां या सेवाएं प्रमाणित निकाय या अनुज्ञप्तिधारी से क्रय की जाएं।

(3) माल या वस्तुओं के विक्रय या विक्रय के लिए प्रस्ताव करने अथवा प्रदर्शन या विक्रय के लिए प्रस्ताव करने से पूर्व विक्रेता का यह सुनिश्चित करने का दायित्व होगा कि—

(क) ब्यूरो द्वारा समय-समय पर यथाविनिर्दिष्ट मानक चिह्न वाले माल, वस्तुओं, प्रसंस्करणों, पद्धतियों या सेवाओं पर अपेक्षित लेबल और चिह्नांकन ब्यौरे हों;

(ख) उत्पाद या आवरण पर चिह्नांकन और लेबल अपेक्षाएं ऐसी रीति में प्रदर्शित की जाएं, जो ब्यूरो द्वारा विनिर्दिष्ट की गई हैं।

(4) प्रत्येक प्रमाणित निकाय या अनुज्ञप्तिधारक ब्यूरो को ऐसी सूचना और, यथास्थिति, किसी माल, वस्तु, प्रसंस्करण, पद्धति या सेवा के संबंध में उपयोग की गई सामग्री या पदार्थ के ऐसे नमूनों का प्रदाय करेगा जो ब्यूरो उनकी गुणवत्ता की मानीटरी के लिए और ऐसी फीस की वसूली के लिए जो अनुरूपता प्रमाणपत्र या अनुज्ञप्ति में विहित की जाए, के लिए अपेक्षा करे।

(5) (क) ब्यूरो यह देखने के लिए की क्या कोई माल, वस्तु, प्रसंस्करण, पद्धति या सेवा जिसके संबंध में किसी मानक चिह्न का उपयोग किया गया है, सुसंगत मानक की अपेक्षाओं को पूरा करती है या क्या किसी माल, वस्तु, प्रसंस्करण, पद्धति या सेवा के संबंध में अनुज्ञप्ति के साथ या अनुज्ञप्ति के बिना मानक चिह्न का उपयोग उचित रूप से किया गया है, ऐसा निरीक्षण कर सकेगा और किसी सामग्री या पदार्थ के नमूने ले सकेगा जो वह उचित समझे।

(ख) ब्यूरो अपने निष्कर्षों तथा उसके अनुसरण में दिए गए निदेशों के परिणामों का प्रचार कर सकेगा।

(6) यदि ब्यूरो का यह समाधान हो जाता है कि उपधारा (4) और उपधारा (5) के उपबंधों के अधीन वे माल, वस्तुएं, प्रसंस्करण, पद्धतियां या सेवाएं, जिनके संबंध में मानक चिह्न का उपयोग किया गया है, सुसंगत मानक की अपेक्षाओं को पूरा नहीं करती हैं, तो ब्यूरो प्रमाणित निकाय या अनुज्ञप्तिधारक या उसके प्रतिनिधि को अननुपालनकारी माल या वस्तुओं की आपूर्ति और विक्रय को बंद करने का निदेश दे सकेगा और उन अननुपालनकारी माल या वस्तुओं जिनकी पहले ही आपूर्ति की जा चुकी है या विक्रय के लिए जिनका प्रस्ताव किया जा चुका है और जिन पर ऐसा चिह्न लगा है, जो बाजार या किसी ऐसे स्थान से, जहां से उनका विक्रय के लिए प्रस्ताव किए जाने की संभावना है, वापस मंगाने का निदेश दे सकेगा या सेवा प्रदान करने का प्रतिषेध कर सकेगा।

(7) जहां किसी प्रमाणित निकाय या अनुज्ञप्तिधारक या उसके प्रतिनिधि ने ऐसे माल, वस्तुओं, प्रसंस्करणों, पद्धतियों या सेवाओं का विक्रय किया है, जिन पर मानक चिह्न लगा हुआ है या उसकी कोई मिलती-जुलती नकल लगी है, जो सुसंगत मानक के अनुरूप नहीं है तो ब्यूरो प्रमाणित निकाय या अनुज्ञप्तिधारक या उसके प्रतिनिधि को,—

(क) मानक चिह्न लगे हुए माल, वस्तु, प्रसंस्करण, पद्धति या सेवा की ऐसी रीति में, जो विनिर्दिष्ट की जाए, मरम्मत करने या उसे प्रतिस्थापित या पुनः प्रसंस्कृत करने का निदेश देगा; या

(ख) उपभोक्ता को ऐसा प्रतिकर देने का निदेश दे सकेगा जो कि ब्यूरो द्वारा विहित किया जाए; या

(ग) ऐसे अननुपालनकारी माल या वस्तु, जिस पर मानक चिह्न लगा है, द्वारा कारित किसी क्षति के लिए धारा 31 के उपबंधों के अनुसार दायी होने का निदेश दे सकेगा।

अध्याय 4

वित्त, लेखा और संपरीक्षा

19. भारतीय मानक ब्यूरो का वित्तीय प्रबंध—केन्द्रीय सरकार इस निमित्त संसद् द्वारा किए गए सम्यक् विनियोग के पश्चात् ब्यूरो को ऐसी धनराशियों का अनुदान और ऋण प्रदान कर सकेगी, जो सरकार आवश्यक समझे।

20. ब्यूरो की निधि—(1) भारतीय मानक ब्यूरो निधि नामक एक निधि का गठन किया जाएगा जिसमें निम्नलिखित जमा किए जाएंगे,—

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा ब्यूरो को दिया गया कोई अनुदान और उधार;

(ख) इस अधिनियम के अधीन ब्यूरो द्वारा प्राप्त सभी फीसों और प्रभार;

(ग) ब्यूरो द्वारा प्राप्त सभी जुर्माने;

(घ) ब्यूरो द्वारा ऐसे अन्य स्रोतों से प्राप्त राशियां, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिश्चित किए जाएं।

(2) निधि का उपयोग निम्नलिखित की पूर्ति के लिए किया जाएगा—

(क) ब्यूरो के सदस्यों, महानिदेशक, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और अन्य पारिश्रमिक;

(ख) अधिनियम के अधीन ब्यूरो द्वारा उसके कृत्यों के निर्वहन में व्यय; और

(ग) इस अधिनियम द्वारा प्राधिकृत उद्देश्यों और प्रयोजनों पर व्यय;

परन्तु उपधारा (1) के खंड (ग) में प्राप्त जुर्मानों का उपयोग उपभोक्ता जागरुकता, उपभोक्ता संरक्षण और देश में माल, वस्तुओं, प्रसंस्करणों, पद्धतियों या सेवाओं की गुणवत्ता के संवर्धन के लिए किया जाएगा।

21. ब्यूरो की उधार लेने की शक्तियां—(1) ब्यूरो, इस अधिनियम के अधीन अपने सभी या किन्हीं कृत्यों के निर्वहन के लिए केन्द्रीय सरकार की सहमति से या केन्द्रीय सरकार द्वारा उसे दिए गए किसी साधारण या विशेष प्राधिकार के निबंधनों के अनुसार किसी भी स्रोत से, जो वह ठीक समझे, धन उधार ले सकेगा।

(2) केन्द्रीय सरकार ब्यूरो द्वारा उपधारा (1) के अधीन लिए गए उधारों की बाबत मूल धन के प्रतिसंदाय और उस पर व्याज के संदाय को ऐसी रीति से प्रत्याभूत कर सकेगी, जो वह ठीक समझे।

22. **बजट**—ब्यूरो प्रत्येक वित्तीय वर्ष में ऐसे प्ररूप में और ऐसे समय पर, जो विहित किया जाए, अगले वित्तीय वर्ष के लिए अपना बजट तैयार करेगा, जिसमें ब्यूरो की प्राक्कलित प्राप्तियां और व्यय दर्शित किए जाएंगे और उसे केन्द्रीय सरकार को भेजेगा।

23. **वार्षिक रिपोर्ट**—(1) ब्यूरो प्रत्येक वित्तीय वर्ष में ऐसे प्ररूप में और ऐसे समय पर, जो विहित किया जाए, अपनी वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा, जिसमें पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान किए गए अपने क्रियाकलापों का पूरा लेखा-जोखा देगा और उसकी एक प्रति केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत करेगा।

(2) केन्द्रीय सरकार, वार्षिक रिपोर्ट को उसके प्राप्त होने के पश्चात् संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगी।

24. **लेखा और संपरीक्षा**—(1) ब्यूरो उचित लेखा और अन्य सुसंगत अभिलेख रखेगा तथा लेखाओं का एक वार्षिक विवरण ऐसे प्ररूप में तैयार करेगा, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के साथ परामर्श से विहित किया जाए।

(2) ब्यूरो के लेखाओं की भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा ऐसे अंतरालों पर संपरीक्षा की जाएगी जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं और ऐसी संपरीक्षा के संबंध में उपगत किसी व्यय का संदाय ब्यूरो द्वारा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को किया जाएगा।

(3) ब्यूरो के लेखाओं की संपरीक्षा के संबंध में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक तथा उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के ऐसी संपरीक्षा के संबंध में वही अधिकार तथा विशेषाधिकार और प्राधिकार होंगे जो भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के साधारणतया सरकारी लेखाओं की संपरीक्षा के संबंध में होते हैं तथा विशिष्टतया उसे बहियों, लेखाओं संबंधी वाउचरों और अन्य दस्तावेजों तथा कागज-पत्रों के पेश किए जाने की मांग करने और ब्यूरो के किसी कार्यालय का निरीक्षण करने का अधिकार होगा।

(4) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा या इस निमित्त उसके द्वारा नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा यथाप्रमाणित ब्यूरो के लेखे, उस पर संपरीक्षा रिपोर्ट के साथ प्रतिवर्ष केन्द्रीय सरकार को भेजे जाएंगे और वह सरकार उन्हें संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगी।

अध्याय 5

प्रकीर्ण उपबंध

25. **केन्द्रीय सरकार की निदेश जारी करने की शक्ति**—(1) इस अधिनियम के पूर्वगामी उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ब्यूरो इस अधिनियम के अधीन अपनी शक्तियों के प्रयोग या कृत्यों के पालन में नीति के प्रश्नों पर ऐसे निदेशों से आवद्ध होगा जो उसे केन्द्रीय सरकार समय-समय पर लिखित रूप में दे:

परंतु ब्यूरो को, यथासाध्य रूप से, इस उपधारा के अधीन कोई निदेश देने से पूर्व अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का अवसर प्रदान किया जाएगा।

(2) क्या कोई प्रश्न नीति का है या नहीं, इस पर केन्द्रीय सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा।

(3) केन्द्रीय सरकार ऐसी अन्य कार्रवाई कर सकेगी जो माल, वस्तुओं, प्रसंस्करणों, पद्धतियों तथा सेवाओं की क्वालिटी के संवर्धन, मानीटरी और प्रबंध के लिए और उपभोक्ताओं तथा विभिन्न पणधारियों के हितों की संरक्षा करने के लिए आवश्यक हो तथा धारा 16 की उपधारा (1) के प्रयोजन के लिए किसी अन्य माल, वस्तुओं, प्रक्रियाओं, प्रणाली और सेवाओं को अधिसूचित कर सकेगी।

26. **ब्यूरो और भारतीय मानक के नाम के उपयोग पर निर्बंधन**—(1) कोई व्यक्ति लोगों को प्रवंचित करने या प्रवंचित करने की संभावना के दृष्टिकोण से ब्यूरो की पूर्व अनुज्ञा के बिना,—

(क) किसी नाम का, जो ब्यूरो के नाम से काफी मिलता-जुलता है जिससे लोगों को प्रवंचित करता हो या प्रवंचित करने की संभावना हो या ऐसा नाम है, जिसमें “भारतीय मानक” पद या उसका कोई संक्षेपाक्षर अंतर्विष्ट है; या

(ख) किसी माल, वस्तु, प्रसंस्करण, पद्धति या सेवा के संबंध में किसी पेटेंट या चिह्न या व्यापार चिह्न या डिजाइन, जिसमें “भारतीय मानक” या “भारतीय मानक विनिर्देश” या ऐसे पदों के किसी संक्षेपाक्षर का,

उपयोग नहीं करेगा।

(2) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी कोई रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी:—

(क) किसी कंपनी, फर्म या व्यक्तियों के अन्य निकाय को, जिसका कोई नाम या चिह्न हो, रजिस्टर नहीं करेगा; या

(ख) कोई ऐसा व्यपार चिह्न या डिजाइन जिस पर कोई नाम या चिह्न हो, रजिस्टर नहीं करेगा; या

(ग) किसी आविष्कार के संबंध में, जिसका शीर्षक ऐसा हो, जिस पर कोई नाम या चिह्न हो, कोई पेटेंट प्रदान नहीं करेगा,

यदि ऐसे नाम या चिह्न का उपयोग उपधारा (1) के उल्लंघन में हो।

(3) यदि किसी रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी के समक्ष यह प्रश्न उठता है कि किसी नाम या चिह्न का उपयोग उपधारा (1) के उल्लंघन में है तो वह रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी उस प्रश्न को केन्द्रीय सरकार को निर्दिष्ट कर सकेगा और उस पर उस सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा।

27. प्रमाणन अधिकारियों की नियुक्ति और शक्तियाँ—(1) ब्यूरो यह निरीक्षण करने के प्रयोजन के लिए कि क्या कोई माल, वस्तु, प्रसंस्करण, पद्धति या सेवा, जिसके संबंध में मानक चिह्न का उपयोग किया गया है, सुसंगत मानक के अनुरूप हैं या क्या मानक चिह्न का उपयोग किसी माल, वस्तु, प्रसंस्करण, पद्धति या सेवा के संबंध में अनुज्ञप्ति के साथ या उसके बिना उचित रूप से किया गया है और ऐसे अन्य कृत्यों के निष्पादन के लिए, जो उन्हें सौंपे जाएं, उतने प्रमाणन अधिकारियों की नियुक्ति कर सकेगा, जितने आवश्यक हों।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अधीन रहते हुए, प्रमाणन अधिकारी को,—

(क) किसी माल, वस्तु, प्रसंस्करण, पद्धति या सेवा, जिसके संबंध में मानक चिह्न का उपयोग किया गया है, की बाबत किए गए किसी प्रचालन का निरीक्षण करने की शक्ति होगी, और

(ख) किसी माल या वस्तु के या किसी माल, वस्तु, प्रसंस्करण, पद्धति या सेवा, जिसके संबंध में मानक चिह्न का उपयोग किया गया है, में उपयोग की गई किसी सामग्री या पदार्थ के नमूने लेने की शक्ति होगी।

(3) ब्यूरो द्वारा प्रत्येक प्रमाणन अधिकारी को प्रमाणन अधिकारी के रूप में नियुक्ति का एक प्रमाणपत्र दिया जाएगा और मांग किए जाने पर प्रमाणन अधिकारी द्वारा प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाएगा।

(4) प्रत्येक प्रमाणित निकाय या अनुज्ञप्ति धारक—

(क) प्रमाणन अधिकारी को उस पर अधिरोपित कर्तव्यों के निर्वहन के लिए उसे समर्थ बनाने हेतु युक्तियुक्त सुविधाएं उपलब्ध कराएगा;

(ख) उन शर्तों में किसी परिवर्तन के बारे में प्रमाणन अधिकारी या ब्यूरो को सूचित करेगा, जो प्रमाणन अधिकारी या ब्यूरो द्वारा अनुरूपता प्रमाणपत्र या अनुज्ञप्ति के प्रदान किए जाने के समय घोषित या सत्यापित की गई थी।

(5) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन किए गए किसी कथन या प्रदान की गई सूचना या दिए गए साक्ष्य से या किए गए निरीक्षण से प्रमाणन अधिकारी या ब्यूरो द्वारा अभिप्राप्त कोई सूचना गोपनीय समझी जाएगी:

परंतु अभियोजन और उपभोक्ताओं के हित के संरक्षण के प्रयोजन के लिए किसी सूचना के प्रकटन को कोई बात लागू नहीं होगी।

28. तलाशी और अभिग्रहण की शक्ति—(1) यदि प्रमाणन अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि किसी माल या वस्तु, प्रसंस्करण, पद्धति या सेवा, जिनके संबंध में धारा 11 या धारा 14 की उपधारा (6) या उपधारा (8) या धारा 15 या धारा 17 का उल्लंघन हुआ है, को किसी स्थान, परिसर या यान में छिपाकर रखा गया है तो वह ऐसे, यथास्थिति, माल या वस्तुओं, प्रसंस्करण, पद्धति या सेवा के लिए ऐसे स्थान, परिसर या यान में प्रवेश कर सकेगा और उसकी तलाशी ले सकेगा।

(2) जहां उपधारा (1) के अधीन की गई किसी तलाशी के परिणामस्वरूप ऐसा कोई माल या वस्तु, प्रसंस्करण, पद्धति, या सेवा पाई जाती है जिसके संबंध में धारा 11 या धारा 14 की उपधारा (6) या उपधारा (8) या धारा 15 या धारा 17 का उल्लंघन हुआ है, वहां प्रमाणन अधिकारी ऐसे माल या वस्तु और अन्य सामग्री तथा दस्तावेजों का अभिग्रहण कर सकेगा, जो उसकी राय में इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही के लिए उपयोगी या सुसंगत है:

परंतु जहां ऐसे माल या वस्तु या सामग्री या दस्तावेज का अभिग्रहण व्यवहार्य नहीं है, वहां प्रमाणन अधिकारी स्वामी पर एक आदेश की तामील कर सकेगा कि वह प्रमाणन अधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के सिवाय माल या वस्तु या सामग्री या दस्तावेज को नहीं हटाएगा, विलग नहीं करेगा या अन्यथा उनमें व्यौहार नहीं करेगा।

(3) तलाशियों और अभिग्रहण से संबंधित दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के उपबंध, जहां तक हो सके, इस धारा के अधीन की गई प्रत्येक तलाशी या अभिग्रहण को लागू होंगे।

29. उल्लंघन के लिए शास्ति—(1) कोई व्यक्ति, जो धारा 11 या धारा 26 की उपधारा (1) का उल्लंघन करता है, वह जुर्माने से, जो पांच लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।

(2) कोई व्यक्ति, जो धारा 14 की उपधारा (6) या उपधारा (8) या धारा 15 का उल्लंघन करता है, वह ऐसी अवधि के कारावास से, जो एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो एक लाख रुपए से कम नहीं होगा, किंतु जो मानक चिह्न, जिसके अंतर्गत हालमार्क भी है, लगे माल या उत्पादित या विक्रीत या विक्रय किए जाने के लिए प्रस्तावित की गई वस्तुओं के मूल्य के पांच गुणा तक हो सकेगा या दोनों से दंडनीय होगा:

परंतु जहां उत्पादित या विक्रीत या विक्रय के लिए प्रस्तावित माल या वस्तुओं के मूल्य का अवधारण नहीं किया जा सकता, वहां यह उपधारणा की जाएगी कि एक वर्ष का उत्पादन ऐसे उल्लंघन में था और ऐसे उल्लंघन के लिए पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की वार्षिक आवर्त को माल या वस्तुओं के मूल्य के रूप में लिया जाएगा।

(3) कोई व्यक्ति, जो धारा 17 की उपबंधों का उल्लंघन करता है वह ऐसी अवधि के कारावास से, जो दो वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो पहले उल्लंघन के लिए दो लाख रुपए से कम नहीं होगा और दूसरे तथा पश्चात्वर्ती उल्लंघनों के लिए पांच लाख रुपए से कम नहीं होगा, किंतु जो मानक चिह्न जिसके अंतर्गत हालमार्क भी है, से लगे या उसके साथ प्रयुक्त माल या उत्पादित या विक्रीत या विक्रय किए जाने के लिए प्रस्तावित की गई वस्तुओं के मूल्य के दस गुणा तक हो सकेगा या दोनों से दंडनीय होगा :

परन्तु जहां उत्पादित या विक्रीत या विक्रय के लिए प्रस्तावित माल या वस्तुओं के मूल्य का अवधारण नहीं किया जा सकता, वहां यह उपधारणा की जाएगी कि एक वर्ष का उत्पादन ऐसे उल्लंघन में था और ऐसे उल्लंघन के लिए पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की वार्षिक आवर्त को माल या वस्तुओं के मूल्य के रूप में लिया जाएगा।

(4) उपधारा (3) के अधीन उपराध संज्ञेय होंगे।

30. कंपनीयों द्वारा अपराध—जहां इस अधिनियम के अधीन किसी कंपनी द्वारा कोई अपराध किया गया है वहां कंपनी का प्रत्येक निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी जो उस समय जब अपराध किया गया था, कंपनी का भारसाधक था और कंपनी के कारबार के संचालन के लिए कंपनी के प्रति उत्तरदायी था या कंपनी का प्राधिकृत प्रतिनिधि या साथ ही वह कंपनी अपराध के दोषी समझे जाएंगे तथा इस तथ्य को विचार में लाए बिना कि वह अपराध कंपनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी या कंपनी के प्राधिकृत प्रतिनिधि की सहमति या मौनानुकूलता से या उसके बिना किया गया है या उस अपराध का किया जाना उसकी किसी उपेक्षा के कारण हुआ माना जा सकता है, तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंड दिए जाने के भागी होंगे।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

- (क) “कंपनी” से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत फर्म या व्यष्टियों का अन्य संगम भी है, तथा
- (ख) फर्म के संबंध में “निदेशक” से उस फर्म का भागीदार अभिप्रेत है।

31. अननुरूपकारी माल के लिए प्रतिकर—जहां किसी अनुज्ञप्तिधारक या अनुरूपता प्रमाणपत्र धारक या उसके प्रतिनिधि ने ऐसे किसी माल, वस्तु, प्रसंस्करण, पद्धति या सेवा का विक्रय किया है, जिस पर ऐसा मानक चिह्न, जो सुसंगत मानकों के अनुरूप नहीं है या उसकी कोई मिलती-जुलती नकल लगी हुई है, वहां प्रमाणित निकाय या अनुज्ञप्तिधारक या उसका प्रतिनिधि उपभोक्ता के प्रति ऐसे अननुरूपकारी माल, वस्तु, प्रसंस्करण, पद्धति या सेवा द्वारा कारित क्षति के लिए ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, प्रतिकर के लिए दायी होंगे।

32. न्यायालयों द्वारा अपराध का संज्ञान—(1) मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट या इस निमित्त विशिष्ट रूप से सशक्त प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय से निम्नतर कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध का विचारण नहीं करेगा।

(2) कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी भी अपराध का संज्ञान निम्नलिखित के द्वारा किए गए किसी परिवाद के सिवाय नहीं लेगा,—

- (क) ब्यूरो द्वारा या ब्यूरो के प्राधिकार के अधीन, या
- (ख) उप पुलिस अधीक्षक या समतुल्य से अन्यून पंक्ति के किसी पुलिस अधिकारी द्वारा; या
- (ग) धारा 16 की उपधारा (2) के अधीन अधिसूचित किसी प्राधिकारी द्वारा; या
- (घ) सरकार के प्राधिकार के अधीन सशक्त किसी अधिकारी द्वारा; या
- (ङ) किसी उपभोक्ता द्वारा; या
- (च) किसी संगम द्वारा।

(3) उप पुलिस अधीक्षक या उसके समतुल्य से अन्यून पंक्ति के किसी पुलिस अधिकारी का यदि यह समाधान हो जाता है कि धारा 29 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट अपराधों में से कोई अपराध किया गया है या किया जा रहा है या किए जाने की संभावना है तो वह बिना वारंट के तलाशी ले सकेगा और माल, ड्राई, ब्लाक, मशीन, प्लेट, अन्य उपकरणों या चीजों का, जो अपराध के करने में अंतर्वलित हैं, चाहे जहां भी पाई जाएं, अभिग्रहण कर सकेगा और इस प्रकार अभिग्रहण की गई सभी वस्तुओं को, यथा साध्य शीघ्रता से उपधारा (1) में यथा विहित मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करेगा।

(4) न्यायालय यह निदेश दे सकेगा कि वह संपत्ति जिसकी बाबत उल्लंघन हुआ है ब्यूरो को समपहृत हो जाएगी।

(5) न्यायालय निदेश दे सकेगा कि इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन संदेय कोई जुर्माना पूर्णतया या उसका कोई भाग ब्यूरो को संदेय होगा।

33. अपराधों का शमन—(1) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन पहली बार दंडनीय किसी ऐसे अपराध, जो केवल कारावास से या कारावास और जुर्माने दोनों से दंडनीय अपराध नहीं है, का शमन, किसी अभियोजन के संस्थित होने से पूर्व या पश्चात् महानिदेशक द्वारा इस प्रकार प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, किया जा सकेगा:

परंतु इस प्रकार विनिर्दिष्ट राशि किसी भी दशा में जुर्माने की अधिकतम रकम से, जो इस प्रकार शमन किए गए अपराध के लिए धारा 29 के अधीन अधिरोपित की जा सकेगी, से अधिक नहीं होगी और पूर्व में शमन किए गए अपराध की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के अवसान के पश्चात् किए गए किसी दूसरे पश्चात्कर्ती अपराध को पहली बार किया गया अपराध माना जाएगा।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक अधिकारी किसी अपराध के शमन करने से संबंधित शक्तियों का उपयोग ब्यूरो के निदेश, नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अधीन रहते हुए करेगा।

(3) किसी अपराध के शमन के लिए प्रत्येक आवेदन ऐसी रीति में किया जाएगा, जो विहित की जाए।

(4) जहां किसी अपराध का शमन किसी अभियोजन के संस्थित होने के पूर्व किया गया है, वहां अपराधी के विरुद्ध, ऐसे अपराध के संबंध में, जिसके लिए इस प्रकार अपराध का शमन किया गया है, कोई अभियोजन संस्थित नहीं किया जाएगा।

(5) जहां किसी अपराध का शमन किसी अभियोजन के संस्थित किए जाने के पश्चात् किया गया है, वहां ऐसे शमन को उस न्यायालय की जानकारी में, जिसमें अभियोजन लंबित है, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिकारी द्वारा लिखित रूप में लाया जाएगा और अपराध के शमन के लिए ऐसी सूचना देने पर और न्यायालय द्वारा उसको स्वीकार किए जाने पर उस व्यक्ति को, जिसके विरुद्ध अपराध का इस प्रकार शमन किया गया है, उन्मोचित कर दिया जाएगा।

34. अपील—(1) इस अधिनियम की धारा 13 या धारा 14 की उपधारा (4) या धारा 17 के अधीन किए गए किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति ब्यूरो के महानिदेशक को यथाविहित अवधि के भीतर अपील कर सकेगा।

(2) अपील के लिए विहित अवधि के पश्चात् की गई किसी अपील को ग्रहण नहीं किया जाएगा:

परंतु अपील के लिए विहित अवधि के अवसान के पश्चात् किसी अपील को तब ग्रहण किया जा सकेगा यदि अपीलार्थी महानिदेशक का यह समाधान कर देता है कि विहित अवधि के भीतर अपील न करने के उसके पास पर्याप्त कारण थे।

(3) इस धारा के अधीन की गई प्रत्येक अपील ऐसे प्ररूप में और आदेश, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, की प्रति और ऐसी फीस के साथ की जाएगी, जो विहित की जाए।

(4) किसी अपील का निपटान करने की प्रक्रिया वह होगी, जो विहित की जाए:

परंतु किसी अपील का निपटान करने से पूर्व अपीलार्थी को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किया जाएगा।

(5) महानिदेशक स्वप्रेरणा से या विहित रीति में किए गए किसी आवेदन पर किसी अधिकारी द्वारा, जिसे उसके द्वारा शक्तियों का प्रत्यायोजन किया गया है, पारित आदेश का पुनर्विलोकन कर सकेगा।

(6) उपधारा (1) या उपधारा (5) के अधीन किए गए किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति ब्यूरो पर प्रशासनिक नियंत्रण रखने वाली केंद्रीय सरकार को ऐसी अवधि के भीतर, जो विहित की जाए, अपील कर सकेगा।

35. ब्यूरो के सदस्यों, अधिकारियों और कर्मचारियों का लोक सेवक होना—ब्यूरो के सभी सदस्यों और सभी अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों के बारे में, जब वे इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के किन्हीं उपबंधों के अनुसरण में कोई कार्य कर रहे हैं या उनका कार्य करना तात्पर्यित है यह समझा जाएगा कि वे भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 21 के अर्थान्तर्गत लोक सेवक हैं।

36. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण—इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही सरकार या सरकार के किसी अधिकारी या ब्यूरो के किसी सदस्य, अधिकारी या अन्य कर्मचारी के विरुद्ध नहीं होगी।

37. ब्यूरो के आदेशों और अन्य लिखतों का अधिप्रमाणन—ब्यूरो द्वारा जारी सभी आदेश और विनिश्चय और सभी अन्य लिखतें, ऐसे अधिकारी या अधिकारियों के हस्ताक्षर द्वारा, जो ब्यूरो द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किए जाएं, अधिप्रमाणित की जाएंगी।

38. नियम बनाने की शक्ति—केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।

39. विनियम बनाने की शक्ति—कार्यकारिणी समिति, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदित से अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम और नियमों से संगत विनियम बना सकेगी।

40. नियमों और विनियमों का संसद् के समक्ष रखा जाना—इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम और प्रत्येक विनियम बनाए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा

जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन, यथास्थिति, उस नियम या विनियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि, यथास्थिति, वह नियम या विनियम नहीं बनाया जाना चाहिए, तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा, किंतु नियम या विनियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

41. कतिपय अधिनियमों के प्रवर्तन पर अधिनियम का प्रभाव न होना—अधिनियम की कोई बात कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिह्नांकन) अधिनियम, 1937 (1937 का 1) या ओषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का 23) या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि, जो किसी माल, वस्तु, प्रसंस्करण, पद्धति या सेवा के किसी मानकीकरण या क्वालिटी नियंत्रण से संबंधित है, के प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी।

42. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति—(1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केंद्रीय सरकार राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबंध कर सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों और जो कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक प्रतीत हों:

परंतु इस धारा के अधीन कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ से दो वर्ष के अवसान के पश्चात् नहीं किया जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश उसके किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा।

43. निरसन और व्यावृत्ति—(1) भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 (1986 का 63) इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, इसके द्वारा निरसित अधिनियम के अधीन की गई या किए जाने के लिए तात्पर्यित कोई बात या कार्रवाई, जिसके अंतर्गत कोई नियम, विनियम, अधिसूचना, स्कीम, विनिर्देश, भारतीय मानक, मानक चिह्न, किया गया, जारी किया गया या अंगीकृत निरीक्षण आदेश या सूचना, की गई कोई नियुक्ति या घोषणा या दी गई कोई अनुज्ञप्ति, अनुज्ञा, प्राधिकार या प्रदान की गई छूट या निष्पादित कोई दस्तावेज या लिखत या दिया गया कोई निदेश या की गई कोई कार्यवाही या अधिरोपित शास्ति या जुर्माना भी है, जहां तक वह इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत नहीं है, इस अधिनियम के तत्समान उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएगी।

(3) उपधारा (2) में किसी विशिष्ट विषय के उल्लेख के बारे में यह नहीं माना जाएगा कि वह निरसन के प्रभाव की बाबत साधारण खंड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) की धारा 6 के साधारण रूप में लागू किए जाने पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा।